भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2529
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

2529. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएमएम) के अंतर्गत तृतीय पक्ष की संपरीक्षा के माध्यम से नए ट्रांसफार्मरों, ग्रिडों और लाइनों के निर्माण की निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत तीसरे पक्ष से परीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और पारदर्शी तरीके से उनका चयन करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ग) क्या नवीकृत विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मरों और ग्रिडों से संबंधित प्रक्रिया में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी, हाँ। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत समवर्ती गुणवत्ता निगरानी के लिए एक तंत्र है, जिसे नोडल एजेंसियों अर्थात् आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो डिस्कॉम द्वारा अपनाई जाने वाली गुणवत्ता जांच और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त है।

वितरण अवसंरचना कार्यों (नए ट्रांसफार्मर, एचटी/एलटी लाइन, बिजली सबस्टेशन आदि सहित) के लिए टीपीक्यूएमए के माध्यम से नोडल एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों को आरडीएसएस की निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियां (i) सामग्री निरीक्षण और (ii) क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ख) : आरडीएसएस की तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी के लिए नियुक्त एजेंसियों का विवरण **अनुबंध** पर है। इन एजेंसियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर ई-टेंडरिंग मोड में आयोजित एकल-चरण दो-भाग बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) : जां हां, विद्युत मंत्रालय ने भारत सरकार की स्कीमों के अनुसार जिले में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय के लिए दिनांक 16.09.2021 को "जिला विद्युत समिति" (डीईसी) का गठन किया है। डीईसी की संरचना में संसद सदस्य (एमपी), विधान सभा सदस्य (एमएलए), जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष/अध्यक्ष और संबंधित जिले में स्थित विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके नामित अधिकारी और वितरण कंपनी (डिस्कॉम)/विद्युत विभाग (पीडी) के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। राज्यों को नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2529

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों की सूची

टीपीक्यूएमए एजेंसी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके लिए टीपीक्यूएमए नियुक्त किया गया है**
मेसर्स वैपकोस लिमिटेड	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी
मेसर्स राइट्स लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल
नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट	तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर
मेसर्स वॉयंट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड, गुजरात हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़
मेसर्स मर्कडोस एनर्जी मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
एन आर्क कंसल्टिंग एंगप्लस प्राइवेट लिमिटेड	बिहार, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम

****